



2026:AHC:45028

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 12818, वर्ष 2025

सोबरन सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अरुण कुमार शर्मा, ज़फर अली

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार शर्मा वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार, यह निष्प्रभावी हो गई है।
2. रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के कारण वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।